मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ०प्र०
तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ
फोन नं०-0522-2308502
Website: www.upmdm.org
ई मेल-Ikomdm@gmail.com
पत्रांक: म०भो०प्रा० $/ \subset-3525 \quad / 2018-19$
दिनांकः 22 नवम्बर, 2018
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
विषय:- परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि के संबंध में।
महोदय,
कृपया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (एम०डी०एम० डिवीजन), भारत सरकार के पत्र संख्या- एफ.नं० $1-2 / 2018$-डेस्क (एम०डी०एम0), दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्तमान में प्रचलित परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि की गयी है, जो निम्नवत् है:-

| विद्यालय | परिवर्तन लागत की प्रचलित दरें |  |  | परिवर्तन लागत की नवीन दरें |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | केन्द्रांश | राज्यांश | योग | केन्द्रांश | राज्यांश | योग |
| प्राथमिक | 2.48 | 1.65 | $\mathbf{4 . 1 3}$ | 2.61 | 1.74 | $\mathbf{4 . 3 5}$ |
| उ0प्राथमिक | 3.71 | 2.47 | $\mathbf{6 . 1 8}$ | 3.91 | 2.60 | $\mathbf{6 . 5 1}$ |

उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार उक्त दरें दिनांक 01.04 .2018 से प्रभावी है, किन्तु शासनादेश निर्गत की तिथि दिनांक 15.11 .2018 है। इस अवधि के पूर्व विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण पुरानी दरों पर किया जा चुका है। अतः शासनादेश निर्गत की तिथि दिनांक 15.11.2018 से नवीन दरें प्रभावी होंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार नवीन दरों के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत का व्यय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

## संलग्नक- यथोक्त।



## संख्या एवं दिनांक तदेव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को अवलोकित करा दें।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार बढ़ी हुयी दरों के आधार पर परिवर्तन लागत को व्यय किये जाने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त विद्यालयों को निर्देश दिया जाना सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ०प्र० शासन।

मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र०
तृतीय तल, अपट्रान भवन, गोमती नगर, लखनऊ
फोन नं0-0522-2308502
Website : www.upmdm.org
ई मेल-Ikomdm@gmail.com
पत्रांक: म०भो0प्रा0 $/<-3525 \quad / 2018-19$
सेवा में,
समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

## विषय:- परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि के संबंध में।

महोदय,
कृपया मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (एम०डी०एम० डिवीजन), भारत सरकार के पत्र संख्या- एफ.नं० 1-2/2018-डेस्क (एम०डी०एम०), दिनांक 15 नवम्बर, 2018 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके माध्यम से प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु वर्तमान में प्रचलित परिवर्तन लागत की दरों में वृद्धि की गयी है, जो निम्नवत् है:-

| विद्यालय | परिवर्तन लागत की प्रचलित दरें |  | परिवर्तन लागत की नवीन दरें |  |  |  |
| :--- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
|  | केन्द्रांश | राज्यांश | योग | केन्द्दांश | राज्यांश | योग |
| प्राथमिक | 2.48 | 1.65 | $\mathbf{4 . 1 3}$ | 2.61 | 1.74 | $\mathbf{4 . 3 5}$ |
| उ0प्राथमिक | 3.71 | 2.47 | $\mathbf{6 . 1 8}$ | 3.91 | 2.60 | $\mathbf{6 . 5 1}$ |

उक्त संदर्भित शासनादेश के अनुसार उक्त दरें दिनांक 01.04.2018 से प्रभावी है, किन्तु शासनादेश निर्गत की तिथि दिनांक 15.11.2018 है। इस अवधि के पूर्व विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन वितरण पुरानी दरों पर किया जा चुका है। अतः शासनादेश निर्गत की तिथि दिनांक 15.11.2018 से नवीन दरें प्रभावी होंगी।

कृपया उपरोक्तानुसार नवीन दरों के आधार पर प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तन लागत का व्यय किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक— यथोक्त।

## संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपर मुख्य सचिव, बेसिक शिक्षा को अवलोकित करा दें।
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ०प्र०।
3. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्तानुसार बढ़ी हुयी दरों के आधार पर परिवर्तन लागत को व्यय किये जाने हेतु खण्ड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से समस्त विद्यालयों को निर्देश दिया जाना सुनिश्चित करें।
4. अनुभाग अधिकारी, बेसिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ०प्र0 शासन।
F.No. 1-2/2018-Desk (MDM) Government of India Ministry of Human Resource Development Department of School Education \& Literacy (MDM Division)

ShastriBlavan, NewDelhi. Dated the $15^{\text {th }}$ November, 2018.
To
The Principal Secretaries / Secretaries (Education) / Nodal Department of all the States / UTs for National Programme of Mid Day Meal in Schools

Subject: Revision of cooking cost @ $5.35 \%$ w.e.f. 01.04 .2018 during $2018-19$ under National Programme of Mid Day Meal in Schools (NP-MDMS) - regarding.
Sir/Madam,

1 am directed to say that it has been decided with the approval of the competent authority to increase the cooking cost under National Programme of Mid Day Meal in schools, by $5.35 \%$ w.e.f. $1^{\text {st }}$ April, 2018 for the year 2018-19 over and above the existing cooking cost. The cooking cost will be shared between the Centre and States in the ratio of $60: 40$ for non-North Eastern Region (NER) States \& UTs with legislature, $100 \%$ for UTs without legislature and 90:10 for NER States and 3 Himalayan States viz. Himachal Pradesh, Jammu \& Kashmir and Utarakhand. The rates of cooking cost admissible w.e.f. 01.04 .2018 during 2018-19 for Primary and UpperPrimary class would be as under:-

| Stage | Cooking <br> Cost per <br> childperday | 60.40 non-NER <br> States and UTs <br> with legislature | 90:10 NER and 3 <br> Himalayan States | 100\% for UTs <br> without <br> legislature |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Primary | Rs. 4.35 | Rs.2.61 | Rs.1.74 | Rs.3.91 | Rs.0.44 | Rs.4.35 |
| Upper Primary | Rs. 6.51 | Rs.3.91 | Rs.2.60 | Rs.5.86 | Rs.0.65 | Rs.6.51 |

2. The above cooking cost rates indicate the minimum mandatory contribution by the Centre and State Governments UIs. However, States / UTs may contribute more than their prescribed share as some States UTs had been contributing more than their minimum mandatory share from their own resources for providing meals with better nutrition under Mid Day Meal Scheme.
3. You are requested to disseminate the above increase in the cooking cost to all concerned and the field functionaries up to school/ cooking agency level to ensure prompt implementation of the revised cooking cost with effect from 01.04.2018
4. This issue with the approval of the IFD, MHRD vices Dy, No, 2474/2018 dated 31.08.2018.

## Copy to:

i) Director (MDM) of all the States / UTs or the nodal Department for MidDay Meal Scheme.
ii) Deputy Secretary (RA)
iii) US(RK)/US(SA)/US(AD)/AFA(PKS)
iv) PPS to Secreary(SE\&L)
v) PPS to IS (EI.I)
vi) All Section Officers in MDM Bureau

